[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं 16/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

दिनांक 21 फरवरी, 2020

2 फाल्गुन, शक 1941,

सा.का.नि. (अ) सीमाशुल्क अधनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 56 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माल परिवहन (विदेशी भू-क्षेत्र से होते हुए) विनियम, 1965 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्निलिखि विनियमावली बनाता है, यथाः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ**- (1) इस विनियमावली को माल परिवहन (विदेशी भू-क्षेत्र से होते हुए) विनियमावली, 2019 कहा जायेगा।

(2) ये विनियमावली सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंकगे।

2. **प्रयोज्यता -** ये विनियम निम्नलिखित परिस्थितियों में माल के परिवहन पर लागू होंगे, -

(i) बंगलादेश गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच माल को भारत से ले जाने और भारत में ले आने के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स के प्रयोग संबंधित करार (एतश्मिनपश्चात जिसे “एसीएमपी” से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत;

(ii) बंगलादेश गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार संबंधी नवाचार (एतश्मिनपश्चात जिसे पीआईडब्ल्यूटीटी से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत;
बशर्ते कि ये विनियम भारत और बंगलादेश के बीच निर्यात-आयात कार्गो के आवागमन पर अथवा पीआईडब्ल्यूटीटी के अंतर्गत किसी अन्य देश को किए जाने वाले निर्यात पर लागू नहीं होंगे; और

(iii) भारत के किसी एक हिस्से से किसी दूसरे हिस्से तक ऐसे भू-मार्ग के द्वारा जो कि अंशिक रूप से किसी बाहरी देश के भू-क्षेत्र में पड़ता हो, जो उपर्युक्त (i) और (ii) के अतंर्गत आने वाले परिवहन में शामिल नहीं हों।

3. **कागजात-** इन विनियमों के अंतर्गत माल का आवागमन करने में माल का प्रेषक, वाहक या उनका प्राधिकृत अभिकर्ता, भारत के निर्गत सीमाशुल्क स्टेशन पर-

(i) सीमाशुल्क की मार्गस्थ घोषणा दायर करेगा, -

(क) अनुबंध ‘क’ में, निवियम 2 के उपवक्य (i) के अतंर्गत होने वाले आवागमन के लिए;

(ख) अनुबंध ‘ख’ में, निवियम 2 के उपवक्य (ii) और (iii) के अंतर्गत होने वाले आवगमन के लिए; और

(ii) अनुबंध 'ग' के अनुसार, सीमाशुल्क के मार्गस्थ घोषणा में घोषित गन्तव्य स्थान तक माल के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए माल के मूल्य के लिए एक बंधपत्र निष्पदित करेगा।

4. **सीमाशुल्क की मार्गस्थ घोषणा का अनुमोदन-** माल के प्रेषिती या माल के वाहक या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा विनियम 3 का अनुपालन हो जाने पर, यथोचित अधिकारी सीमाशुल्क की मार्गस्थ घोषणा को अनुमोदित करेगा।

5. **माल को लादे जाने की अनुमति-** वाहन का प्रभारी कोई भी व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत माल को लादे जाने की तब तक अनुमति नहीं दे सकता है जब तक कि उनसे संबंधित सीटीडी को यथोचित अधिकारी के द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

6. '**ट्रांसशिपमेंट**' **की अनुमति**- जहाँ ऐसे अनुमोदन के अनुसरण में माल को वाहन पर लाद दिया गया हो वहाँ उक्त यथोचित अधिकारी, -
(क) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो को सीमाशुल्क के 'वन-टाइम-लॉक' से सुरक्षा पूर्वक 'सील्ड' कर दिया गया हो;
बशर्ते कि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो माल की प्रकृति की देखते हुए या परिवहन के तरीके को देखते हुए बिना सीमाशुल्क के 'वन-टाइम-लॉक' को लगाये हुए भी इन विनियमों के अंतर्गत माल को ले जाने की अनुमति दे सकता है।
(ख) 'वन-टाइम-लॉक' की संख्या को सीटीडी पर पृष्ठांकित करेगा।

7**. पुनर्प्रवेश के सीमाशुल्क स्टेशन पर आगमन-** (1) पुनर्प्रवेश के सीमाशुल्क स्टेशन का यथोचित अधिकारी उस सीमाशुल्क के 'वन-टाइम-लॉक' के सुरक्षित बचे रहने की जांच करेगा जो कि निर्गत सीमाशुल्क स्टेशन पर लगाया गया हो और यदि उक्त 'वन-टाइम-लॉक' सुरक्षित पाया जाता है तो वह सीटीडी को पृष्ठांकित कर देगा और माल के क्लियरेंस की अनुमति दे देगा;
(2) यदि निर्गत सीमाशुल्क स्टेशन पर लगाया गया सीमाशुल्क 'वन-टाइम-लॉक' सुरक्षित नहीं पाया जाता है तो यथोचित अधिकारी उक्त माल का यथोचित सत्यापन करेगा जिससे कि यह पता चल सके कि उक्त माल सीटीडी के अनुरूप ही है या नहीं और इस बात से संतुष्ट होने पर कि इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है, वह सीटीडी को पृष्ठांकित कर देगा और माल के क्लियरेंस की अनुमति दे देगा।
बशर्ते कि यदि माल सीटीडी के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो यथोचित अधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए निर्गत सीमाशुल्क स्टेशन को ऐसी अनियमितता के बारे में सूचना देगा।
(3) निर्गत सीमाशुल्क स्टेशन से प्रस्थान के तीन महीने के भीतर या ऐसी बढायी गयी अवधि के भीतर जिसके लिए यथोचित अधिकारी अनुमति दे, भारत के पुनर्प्रवेश सीमाशुल्क स्टेशन पर उक्त माल के विधिवत रूप से पहुँच जाने के प्रमाण के रूप में माल का प्रेषक, वाहक या उनका प्राधिकृत अभिकर्ता भारत के निर्गत सीमाशुल्क स्टेशन के सीमाशुल्क अधिकारी को सीटीडी की उस प्रति को प्रस्तुत करेगा जिसे भारत के पुनर्प्रवेश सीमाशुल्क स्टेशन के यथोचित अधिकारी के द्वारा पृष्ठांकित किया गया हो

(4) निर्गत सीमाशुल्क स्टेशन से प्रस्थान के तीन महीने के भीतर, या यथोचित अधिकारी के द्वारा उस बढ़ायी गयी अधिकतम छः माह के भीतर माल का प्रेषती, या माल का वाहक या उनका प्राधिकृत अभिकर्ता भारत के निर्गत सीमाशुल्क स्टेशन के अधिकारी को भारत के पुनर्प्रवेश सीमाशुल्क स्टेशन पर माल के विधिवत पहुँच जाने के परिणामस्वरूप उस सीमाशुल्क के मार्गस्थ घोषणा की प्रति प्रस्तुत करेगा जिससे भारत के पुनर्प्रवेश के सीमाशनुल्क स्टेशन के यथोचित अधिकारी द्वारा विधिवत पृष्ठांकित किया गया हो।

(5) उपर्युक्त के बावजूद जहाँ कि भारत के पुनर्प्रवेश के सीमाशुल्क स्टेशन का सीमाशुल्क अधिकारी उक्त माल के विधिवत पहुँचने के बारे में निर्गत सीमाशुल्क स्टेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक एन्ट्री कर देता है तो उपर्युक्त उपवाक्य (1) के अनुसार पृष्ठांकित सीटीडी को जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

6. उपर्युक्त किसी भी बात के बावजूद जहाँ कि भारत के पुनर्प्रवेश के सीमाशुल्क स्टेशन का सीमाशुल्क अधिकारी माल के विधिवत पहुँच जाने के बारे में निर्गत सीमाशुल्क स्टेशन पर पहुँचने से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टि कर देता है तो उप-विनियम (4) के अंतर्गत उक्त पृष्ठांकित सीमाशुल्क की मार्गस्थ घोषणा को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी।

<u>**अनुबंध - क**</u>

मार्गस्थ सीमाशुल्क की घोषणा (सीटीडी)

(देंखेः- माल का परिवहन (विदेशी भू-क्षेत्र से होते हुए), विनियमावली, 2020 के विनियम 3 का उपवाक्य (i) (क)

<table>
<tr><td colspan="7">भाग क
जिसे माल के प्रेषक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा भरा जाना है</td></tr>
<tr><td colspan="2">माल के प्रेषक का नाम और पता
दूरभाष सं.
ईमेल-आईडी
जीएसटीआईएन (यदि लागू हो)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">माल के प्रेषिती का नाम और पता
दूरभाष सं.
ईमेल-आईडी</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">भारत का निर्गत-पत्तन</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">बंगलादेश का प्रवेश-पत्तन</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">बंगलादेश का निर्गत-पत्तन</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">भारत का पुनर्प्रवेश-पत्तन</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="7">माल का ब्यौरा</td></tr>
<tr><td>कन्टेनर सं./ट्रक सं.</td><td>पैकेजेस के मार्क और क्रम सं. /ओवर डाइमेंशनल कार्गो का डिस्टिंग्यूशिंग मार्क</td><td>माल का विवरण</td><td>एच.एस. कोड</td><td>मात्रा (इकाई समेत)</td><td>सकल भार</td><td>सी.आई.एफ. मूल्य (भारतीय रुपये/बंगलादेश टका में)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यहाँ पहुँचा माल बंगलादेश से होकर भारत को जाने वाला है और इसका मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा और न ही इसे बंगलादेश में रोक कर रखा जाएगा।
मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त दी गयी प्रविष्टि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

(प्रेषक/प्राधिकृत अभिकर्ता/प्राधिकृत परिचालक का हस्ताक्षर और मुहर)</td></tr>
<tr><td colspan="7">भाग ख
(जिसे भारत के निर्गत पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा भरा जाना है)</td></tr>
<tr><td colspan="7">लगाए गये वन-टाइम-लॉक की सील क्रमांक, (यदि कोई हो):
और आगे भी बंगलादेश के प्रवेश पत्तन ले जाने के लिए अनुमति।

(सीमाशुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर)</td></tr>
<tr><td colspan="7">भाग ग
(जिसे बंगलादेश के प्रवेश पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा भरा जाना है)</td></tr>
<tr><td colspan="2">इलेक्ट्रॉनिक लॉक और सील का क्रामांक:</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">वाहनों/ट्रकों की पंजीकरण सं.:</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">और आगे भी बंगलादेश के निर्गत पत्तन तक ले जाने की लिए अनुमति

(सीमाशुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर)</td></tr>
<tr><td colspan="2">भाग घ
(जिसे बंगलादेश के निर्गत पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा भरा जाना है)</td></tr>
<tr><td colspan="2">बंगलादेश से बाहर जाने के लिए अनुमति

(सीमाशुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर)</td></tr>
<tr><td colspan="2">भाग ङ
जिसे भारत के प्रवेश पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा भरा जाना
(जो लागू न हो उसे मिटा दें)</td></tr>
<tr><td>उपर्युक्त भाग ख के अनुसार भारत के निर्गत पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा लगाये गये ओटीएल पूर्णतः सुरक्षित पाया गया।

(सीमाशुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर)</td><td>उपर्युक्त भाग ख के अनुसार भारत के निर्गत पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा लगाये गये ओटीएल पूर्णतः सुरक्षित नहीं पाया गया।

माल की जांच की गयी और उसे घोषणा के अनुरूप पया गया या

माल की जांच की गयी लेकिन उसे घोषणा के अनुरुप नहीं पाया गया और आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

(सीमाशुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर)</td></tr>
</table>

अनुबंध - ख

मार्गस्थ सीमाशुल्क की घोषणा (सीटीडी)

(देखेः- माल का परिवहन (विदेशी भू-क्षेत्र से होते हुए), विनियमावली, 2020 के विनियम 3 का उपवाक्य (i) (ख))

<table>
<tr><td colspan="7">भाग क
जिसे माल के प्रेषक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा भरा जाना है</td></tr>
<tr><td colspan="3">माल के प्रेषक का नाम और पता
दूरभाष सं.
ईमेल-आईडी
जीएसटीआईएन (यदि लागू हो)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">माल के प्रेषिती का नाम और पता
दूरभाष सं.
ईमेल-आईडी</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">भारत का निर्गत कस्टम्स स्टेशन</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">................... देश का प्रवेश कस्टम्स स्टेशन
(कृपया उस बाहरी देश का नाम लिखें)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">..................... देश का निर्गत कस्टम्स स्टेशन
(कृपया उस बाहरी देश का नाम लिखें)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">भारत के पुनर्प्रवेश का कस्टम्स स्टेशन</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">माल का ब्यौरा</td></tr>
<tr><td>कन्टेनर सं./ट्रक सं.</td><td>पैकेजेस के मार्क और क्रम सं. /ओवर डाइमेंशनल कार्गो का डिस्टिंग्यूशिंग मार्क</td><td>माल का विवरण</td><td>एच.एस. कोड</td><td>मात्रा (इकाई समेत)</td><td>सकल भार</td><td>सी.आई.एफ. मूल्य (भारतीय रुपये/बंगलादेश टका में)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यहाँ पहुँचा माल इस भू-क्षेत्र से _____(कृपया बाहरी देश का नाम लिखें) भारत को जाने वाला है और इसका मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा और न ही इसे ____________ (कृपया बाहरी देश का नाम लिखें) में रोक कर रखा जाएगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त दी गयी प्रविष्टि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

(प्रेषक/प्राधिकृत अभिकर्ता/प्राधिकृत परिचालक का हस्ताक्षर और मुहर)</td></tr>
<tr><td colspan="7">भाग ख
(जिसे भारत के निर्गत कस्टम्स स्टेशन के सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा भरा जाना है)</td></tr>
<tr><td colspan="7">लगाए गये वन-टाइम-लॉक की सील क्रमांक, (यदि कोई हो):

और आगे भी प्रवेश पत्तन तक ले जाने के लिए अनुमति (कृपया उस बाहरी देश का नाम लिखें)

(सीमाशुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर)</td></tr>
<tr><td colspan="7">भाग ग
जिसे भारत के पुनर्प्रवेश के कस्टम्स स्टेशन के सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा भरा जाना है।
(जो लागू न हो उसे मिटा दें)</td></tr>
</table>

उपर्युक्त भाग ख के अनुसार भारत के निर्गत पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा लगाये गये ओटीएल पूर्णतः सुरक्षित पाया गया। (सीमाशुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर)	उपर्युक्त भाग ख के अनुसार भारत के निर्गत पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा लगाये गये ओटीएल पूर्णतः सुरक्षित नहीं पाया गया। माल की जांच की गयी और उसे घोषणा के अनुरूप पया गया या माल की जांच की गयी लेकिन उसे घोषणा के अनुरुप नहीं पाया गया और आवश्यक कार्यवाई की जा रही है। (सीमाशुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर)

परिशिष्ट-ग

बंधपत्र

(एकल/सामान्य)

(कृपया देखेः माल का परिवहन (विदेशी भू-क्षेत्र से होते हुए) विनियमावली, 2020 का विनियम 3 (ii))

इस अभिव्यक्ति से सर्वविदित हो कि हम, मेसर्स___________________________, जिनका कार्यालय____________________________ में अवस्थित है, एतश्मिनपश्चात जिन्हें "बाध्यताधारी" (जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत हमारे परवर्ती, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि ही आयेंगे) से संदर्भित किया गया है, "भारत के राष्ट्रपति" एतश्मिनपश्चात जिन्हें "राष्ट्रपति" (जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और निर्धारित व्यक्ति भी आयेंगे) के प्रति _______________________ रुपये की राशि (कृपया राशि को शब्दों में लिखें) के लिए वचनवद्ध करते हैं जिसका भुगतान राष्ट्रपति को किया जाना है, जिस भुगतान के लिए हम अपने को, अपने परिवर्ती, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधियों को सत्यनिष्ठा से बाध्य करते हैं।

दिनांक..........20............. को अपने मुहर सहित हस्ताक्षरित।

और जहाँ कि उक्त बाध्यताधारी को यथोचित अधिकारी द्वारा माल का परिवहन (विदेशी भू-क्षेत्र से होते हुए) विनियमावली, 2019 (एतश्मिनपश्चात जिसे उक्त विनियमावली से संदर्भित किया गया है) के अतंर्गत परिवहन के संचालन की अनुमति दी है।

और जहाँ कि सहायक/उपायुक्त, सीमाशुल्क ने इस विनियमावली के अंतर्गत परिवहन के संचालन के प्रयोजन के लिए इस बंधपत्र को भरने की अनुमति दी है।

अब इस लिखित बंधपत्र की शर्तें इस प्रकार हैं कि हमः

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (एतश्मिनपश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) के सभी प्रावधानों का और इसके अंतर्गत ऐसे माल के संबंध में बनाए गये सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे;

(2) यदि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पाते हैं तो ऐसे माल पर भारित संपूर्ण शुल्क के साथ-साथ उसपर लगने वाले ब्याज दण्ड और शास्ति, जो कि ऐसे माल पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत लगाये जायें, का भुगतान करेंगे;

(3) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और अन्य कोई कानून जो समय-समय पर लागू हों, के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

उपर्युक्त लिखित बंधपत्र उस समय शून्य हो जाएगा और इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा यदि यह पूरी तरह से सत्यनिष्टा से लागू नहीं होता है तो।

निम्न के साक्षी रखते हुए, बाध्यताधारी ने अपना निशान अंगूठा और मुहर लगाता है और इसके ऊपर दिन, माह और वर्ष भी लिखेगा।

_______________________ (स्थान) पर निम्न की उपस्थिति में बाध्यताधारी या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और प्रदत्तः

(बाध्यताधारी)

साक्षीः

नाम और हस्ताक्षर पता व्यवसाय

1.

2.

दिनांक ______________________ को भारत के राष्ट्रपति की ओर से मेरे द्वारा स्वीकृत।

(सहायक/उपायुक्त)
हस्ताक्षर तथा दिनांक
नामः

बंधपत्र अनुसूची

(सामान्य बंधपत्र के मामले में)

सीमाशुल्क की मार्गस्थ घोषणा	**माल का मूल्य (भारतीय रु. में)**	**डेबिट (माल का मूल्य)**	**क्रेडिट**	**बंधपत्र के मूल्य का शेष**	**टिप्पणी**	**अधिकारी का हस्ताक्षर, पूरा नाम तथा पता सहित**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक
[फा.सं. 484/50/2019-एलसी]